जनपद शामली पुलिस

--सोशल मीडिया सेल शामली--

प्रेस विज्ञप्ति **दिनांक-20.06.2025**

थाना झिंझाना पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से अवैध हथियार व कारतूस बरामदः-

आज दिनांक 20.06.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री रामसेवक गौतम के आदेशानुसार चलाये जा रहे संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चैकिंग अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल नेतृत्व में थाना झिंझाना पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुयी है, जिसके कब्जे से 01 अवैध तमंचा मय 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना झिंझाना पर सुसंगत धाराओं मे अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1.सोनू पुत्र अमर सिंह निवासी ग्राम खानपुरा जाटान थाना झिंझाना जनपद शामली।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त सोनूः-

1.मु0अ0सं0 292/2025 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना झिंझाना जनपद शामली।

2.मु0अ0सं0 136/2020 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम थाना झिंझाना जनपद शामली।

बरामदगी का विवरणः-

1.एक अदद अवैध तमन्चा मय 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर।

थाना कैराना पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम मण्डावर में जानलेवा हमला करने के मामले में वांछित 02 अभियुक्त गिरफ्तार।

ज्ञात हो कि दिनांक 27.04.2025 को हाशिम पुत्र अब्बास निवासी ग्राम मण्डावर थाना कैराना जनपद शामली पर अभियुक्तगण द्वारा एक राय होकर घर में घुसकर, गाली गलौच कर जानलेवा हमला किया गया था। घटना के सम्बन्ध में थाना कैराना पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। उपरोक्त घटना को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस अधीक्षक शामली ने अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु प्रभारी निरीक्षक थाना कैराना को निर्देशित किया गया था।

इसी क्रम में आज दिनाँक 20.06.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री रामसेवक गौतम के आदेशानुसार चलाये जा रहे अपराध की रोकथाम एवं अपराध में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के निकट पर्यवेक्षण में थाना कैराना पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम मण्डावर में अभियुक्तगण द्वारा एक राय होकर घर में घुसकर, गाली गलौच कर जानलेवा हमला करने के मामले में वांछित 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना कैराना पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तगणः-

1.जुल्फान उर्फ सुक्का पुत्र मुन्त्याज निवासी ग्राम मण्डावर थाना कैराना जनपद शामली।

2.दिलशाद पुत्र कामिल निवासी ग्राम मण्डावर थाना कैराना जनपद शामली।

थाना कांधला पुलिस द्वारा विवाहिता से दुष्कर्म कर अतिरिक्त दहेज की मांग करने के मामले में वाछिंत अभियुक्त गिरफ्तारः-

ज्ञात हो कि दिनांक 20.06.2025 को थाना कांधला क्षेत्रान्तर्गत वादिया द्वारा अपने ससुरालीजनों के विरुद्ध अतिरिक्त दहेज की मांग कर मारपीट करने व दुष्कर्म करने के सम्बन्ध में थाना कांधला पर लिखित तहरीर दाखिल की गयी थी। वादिया की तहरीर के आधार थाना कांधला पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था।

इसी क्रम में आज दिनांक 20.06.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री राम सेवक गौतम के आदेशानुसार चलाये जा रहे महिलाओं के विरूद्ध अपराध की रोकथाम एवं महिला अपराधों से संबंधित अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी कैराना के निकट पर्यवेक्षण में थाना कांधला पुलिस द्वारा विवाहिता से अतिरिक्त दहेज की मांग कर मारपीट कर दुष्कर्म करने के मामले में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना कांधला पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1.फरमान पुत्र शमशाद निवासी मौहल्ला रायजादगान थाना कांधला जनपद शामली।

थाना कैराना पुलिस द्वारा नाबालिग को बहला फुसला कर ले जाने व दुष्कर्म करने के मामलें में वांछित अभियुक्त गिरफ्तारः-

ज्ञात हो कि थाना कैराना क्षेत्रान्तर्गत नाबालिग को बहला फुसलाकर ले जाने के सम्बन्ध में पीडिता के परिजन द्वारा दिनाँक 28.04.2025 को थाना कैराना पर लिखित तहरीर दी गयी थी। दाखिला तहरीर के आधार पर थाना कैराना पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था।

इसी क्रम में आज दिनांक 20.06.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री रामसेवक गौतम के आदेशानुसार चलाये जा रहे महिलाओं के विरूद्ध अपराध की रोकथाम एवं महिला अपराधों से संबंधित वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी कैराना के निकट पर्यवेक्षण में थाना कैराना पुलिस द्वारा नाबालिग को बहला फुसला कर ले जाने व दुष्कर्म करने के मामले में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना कैराना पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। घटना में लिप्त अभियुक्त सागर व सूरज को पूर्व में गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1.सन्दीप पुत्र सोनी निवासी मौहल्ला नई बस्ती पट्टी चौराहा थाना बड़ौत जनपद बागपत।

<u>थाना थानाभवन पुलिस द्वारा 01 चोर गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की गयी बकरी व घटना में प्रयुक्त मोटर साईकिल बरामदः-</u>

ज्ञात हो दिनाँक 120.06.2025 को थाना थानाभवन क्षेत्रान्तर्गत भास्कर मण्डी कस्बा जलालाबाद स्थित श्री दिनेश पुत्र कूड़ामल के बाहर बंधी बंकरी को अज्ञात चोर द्वारा चोरी कर लिया गया था। घटना के सम्बन्ध में वादी श्री दिनेश उपरोक्त की तहरीर के आधार पर अज्ञात अभियुक्तके विरुद्ध थाना थानाभवन पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था।

इसी क्रम में आज दिनांक 20.06.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री रामसेवक गौतम के आदेशानुसार संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चैकिंग व चोरों की गिरफ्तारी हेतु चलाये गये अभियान के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी थानाभवन के कुशल पर्यवेक्षण में थाना थानाभवन पुलिस द्वारा 01 चोर को चोरी की गयी बकरी व घटना में प्रयुक्त मोटर साईकिल सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना थानाभवन पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-</u>

1.रहीश पुत्र बशीर निवासी मौहल्ला गंगा आर्यनगर कस्बा जलालाबाद थाना थानाभवन जनपद शामली।

<u>बरामदगी का विवरणः-</u>

1.चोरी गयी बकरी।

2.घटना में प्रयुक्त मोटर साईकिल रजि0नं0 UP19K7425

<u>थाना कांधला पुलिस द्वारा वांछित/वारण्टी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए 01 एनबीडब्ल्यू/वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तारः-</u>

आज दिनांक 20.06.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली के आदेशानुसार चलाए जा रहे वांछित/वारंटी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में थाना कांधला पुलिस द्वारा वांछित/वारंटी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए 01 एनबीडब्ल्यू/वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। अभियुक्त की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना कांधला पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-</u>

1.गय्यूर पुत्र अब्बास निवासी मौहल्ला आर्यपुरी थाना कैराना जनपद शामली।

<u>“आपरेशन क्लीन” अभियान के अन्तर्गत थाना कैराना पुलिस द्वारा शस्त्र अधिनियम से सम्बन्धित मालो का विनिष्टीकरण हेतु थाना कैराना के मालखाने में रखे शस्त्र अधिनियम माल मुकदमाती के 108 अभियोगों से सम्बन्धित शस्त्रों को नष्ट कराये जाने के संबंध मेः-</u>

श्रीमान पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा चलाये जा रहे “आपरेशन क्लीन” अभियान के क्रम में माननीय न्यायालय के आदेश के अनुपालन में जिलाधिकारी शामली श्री अरविन्द चौहान व पुलिस अधीक्षक शामली श्री रामसेवक गौतम के निर्देशन में जनपद शामली के थाना कैराना पर मुकदमों से सम्बन्धित मालखाने में रखे माल मुकदमाती शस्त्र अधिनियम को विनिष्टीकरण कराये जाने हेतु माननीय न्यायालय के आदेश के अनुपालन में गठित कमेटी द्वारा द्वारा आदेश निर्गत किये गए थे। उक्त क्रम में आज दिनांक 20.06.2025 को उपजिला मजिस्ट्रेट कैराना के निर्देशन में श्री सतीश यादव तहसीलदार कैराना, श्री श्याम सिंह क्षेत्राधिकारी कैराना, श्रीचन्द अभियोजन अधिकारी व श्री धर्मेन्द्र सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना कैराना की मौजूदगी मे वर्ष 1982 से 2020 तक के 108 अभियोगो से सम्बन्धित माल 1.CMP 315 वोर – 34, 2.नाजायज छुरी – 17, 3.नाजायज चाकू – 16, 4.CMP 12 बोर – 27, 5.देशी गन SBBL – 04, 6.देशी रायफल – 3, 7.पोनिया 12 बोर – 02, 8.CMP 32 बोर – 01, 9.तलवार – 01, 10.कुल्हाडी – 01, 11.शस्त्र बनाने के उपकरण – 1, 12. गोकशी उपकरण – 01, 13.पोनिया 12 बोर – 02 आदि को प्राइवेट लुहार को बुलवाकर माल उपरोक्त को हथोडा , छेनी व ग्राइंडर मशीन आदि से कटवाकर, तुड़वाकर नष्ट किये गये नष्टिकरण के दौरान फोटोग्राफी व वीडियोग्राफी कराई गयी |

SOCIAL MEDIA CELL SHAMLI